

20.01.23

पत्रावली पेश हुई। वकील पद्मकाशन उपस्थित।
पत्रावली, पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज व
व्याय के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया।
बहस पर मनन किया गया। दावा तफासमा अंतर्गत
धारा 53, 88 व 188 राज. का. अधि. 1955 साबित होने
पर डिस्मिस किया जाता है। मुताबिक नक्शे जुर्रगत दावा
अंतिम डिस्मिस (F.D.) किया जाता है। यह निर्णय खुल
न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार, फुलरा की
तहरीर जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया गया।

उपरखण्ड अधिकारी
सांभर लेख



आज्ञा विस्तृत रूप से

विश

-- जाकर शा. सि. किया गया। पत्रावली फॉसल शुमाट
ही दर्ज नंबर से कर हीकर कारिकल दफतर ही। 7

20/01/23

उपर्युक्त अधिकारी
साँभर लेख